

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
13/03/2025 15:20 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
- 1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 14/10/2021 **Date To (दिनांक तक):** 14/10/2021
- Time Period (समय अवधि):** Pahar **Time From (समय से):** 00:00 **Time To (समय तक):** 00:00 hrs
- (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 14:55 hrs
- (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 15:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 30 Km **Beat No. (बीट सं.):**
(s)

(b) **Address (पता):** फरुखनगर जिला गुरुग्राम,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ASHOK KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 20/04/1969 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	FBD, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	FBD, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9990886740

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ललीत कुमार त0 सेल काउन्टर			1. ईन्चार्ज फरुखनगर जिला ggm,GURUGRAM,HARYANA,IN DIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। विषय :- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमानी जी, निवेदन यह है कि जांच कमांक 02 दिनांक 21.06.2024. गुरुग्राम CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ दिनांक 09.05.2024 के आदेश अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ कमांक 12178/1-2/ACB (H) dated 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई थी।

2 जांच में आरोप वर्णित है कि जांच CWP No. 5898 of 2022 Jasbir Ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2024 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी वितरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में जालसाजी करके सब्सिडी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाये गये हैं।

3 जांच की पडताल निरीक्षक नीरज कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच की पडताल के दौरान प्राप्त शुदा रिकार्ड व कथनों के अवलोकन अनुसार वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान प्रति क्विंटल गेहूँ बीज की कुल राशि 3350 रूपये मानी गई थी। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल 1000 रूपये सब्सिडी देकर, किसानों को कुल 2350 रूपये प्रति क्विंटल बेचा गया था। जिसमें हरियाणा बीज विकास निगम को सब्सिडी दर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। जिला गुरुग्राम में हरियाणा बीज विकास निगम ने बीज ब्रिकी केन्द्र पटौदी, हेलीमण्डी, फरुखनगर व सोहना थे। ब्रिकी केन्द्र पटौदी में सजंय कुमार, ब्रिकी केन्द्र हेलीमण्डी में सुनील कुमार व ब्रिकी केन्द्र सोहना में राजेश कुमार व ब्रिकी केन्द्र फरुखनगर में ललीत कुमार सैल्स मैनेजर्स तैनात थे। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के रिकार्ड अनुसार ब्रिकी केन्द्र पटौदी, हेलीमण्डी, फरुखनगर व सोहना में रबी की फसल के दौरान गेहूँ बीज किस्म की प्राप्ति, ब्रिकी व अन्य केन्द्रों में ट्रांसफर किये गये का विवरण निम्नप्रकार से है:-

ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –HD-2967, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 2230 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये - 2230, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज ---- , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –HD-3086, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 4390 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये -3795.20, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -594.80 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –WH-1105, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 610 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये -610, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज ---- , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –PBW-723, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 438 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये –431.60, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -6.80 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –PBW-725, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) –155.20 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये –153.60, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -1.60 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –HD-3059, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) –16.80 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये - 10, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -6.80 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –हेलीमण्डी , गेहूँ बीज किस्म –WH-1124, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 100 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये - 100, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज ---- , Total -HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 7940 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये –7330.40, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज –610, ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –सोहना , गेहूँ बीज किस्म –HD-2967, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 1080 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये -1044, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -36 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –सोहना , गेहूँ बीज किस्म –HD-3086, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 1240 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये -1130, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज -110 , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –सोहना , गेहूँ बीज किस्म –WH-1105, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 210 , गेहूँ बीज किसानों को ब्रिकी किये गये -210, ट्रांसफर किया गया गेहूँ बीज ----- , ब्रिकी केन्द्र जिला गुरुग्राम –सोहना , गेहूँ बीज किस्म –PBW-723, HSDC के माध्यम से ब्रिकी केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विंटल मे) - 88 ,

ट्रान्सफर किया गया गेहूँ बीज - 7580, G.Total - HSDC के माध्यम से बिक्री केन्द्रों को प्राप्त गेहूँ बीज सख्या (क्विटल मे) - 18068 , गेहूँ बीज किसानो को बिक्री किये गये - 16439.20, ट्रान्सफर किया गया गेहूँ बीज - 8451.20

4. किसान कल्याण विभाग के रिकार्ड अनुसार वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला गुरुग्राम के बिक्री केन्द्र पटौदी, हेलीमण्डी, सोहना व फरुखनगर बिक्री केन्द्र के द्वारा कुल 16439.20 क्विटल बिक्री किया गया। बिक्री किये गये गेहूँ बीज की कुल सब्सिडी 1,64,39,200 रुपये हरियाणा बीज विकास निगम पटौदी के खाता स० 3347008700000691 पंजाब नेशनल बैंक गुरुग्राम में दिनांक 14.10.2021 को भेजी गई।

5 वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला गुरुग्राम के बिक्री केन्द्र पटौदी, फरुखनगर, सोहना व हेलीमण्डी में गेहूँ बीज वितरित किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा जिला गुरुग्राम के बिक्री केन्द्र पटौदी, फरुखनगर, सोहना व हेलीमण्डी में कुल 6157 किसानो को गेहूँ बीज वितरण किया गया। जिसमें बिक्री केन्द्र पटौदी में 879 किसानों को, बिक्री केन्द्र फरुखनगर में 1391 किसानो को, सोहना में 1157 किसानो को व बिक्री केन्द्र हेलीमण्डी में 2730 किसानों को गेहूँ बीज वितरण किया जाना पाया गया है। जो कुल 6157 किसानो में से रेन्डमली 414 किसानो को शामिल जाँच करके कथन अंकित किये गये हैं। 408 किसानो के कथनों के अवलोकन से पाया कि पटौदी, फरुखनगर, सोहना व हेलीमण्डी बीज बिक्री केन्द्रों से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीदना पाया गया। जो बिक्री केन्द्रों के सैल्समैनो ने उनके आधार नम्बर लेकर किसान सूची पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। तथा गेहूँ बीज की रशीद काटकर दी थी। इसके अतिरिक्त 06 किसानो को शामिल जाच करके उनके कथन अंकित किये गये जिनमें से 02 किसानो ने गेहूँ के बीज नहीं लेना ब्यान किये हैं जिसमे पवन कुमार पुत्र विशन सिंह निवासी जोनियावास जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हु जो पटटे पर 16 किले जमीन ली हुई है खेती बाडी करने के लिए वर्ष 2020 में गेरे द्वारा सीड सैन्टर फरुखनगर से गेहूँ के बीज नहीं खरीदे गये थे मैं गेहूँ के बीज हर साल प्राईवेट दुकान से लेकर आता हूँ सीड सैन्टर फरुखनगर के रिकार्ड मे मेरा आधार नम्बर 767070029938 है गेहूँ के बीज के 10 कटटे खरीदने के बारे मे दर्ज किया हुआ है जो आधार नम्बर मेरा ही है परन्तु हस्ताक्षर हिन्दी मे किये हुए वो मेरे नहीं है मैं अपने हस्ताक्षर हमेशा अग्रेजी मे करता हूँ। इसी प्रकार अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण निवासी गांव डूमा जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ वह सन 2011 से बिजली विभाग फरुखनगर में HKAN से ALM के तौर पर लगा हुआ हु जो वर्ष 2020-21 मैने बीज बिक्री केन्द्र से गेहूँ के बीज नहीं खरीदे थे जो आपके रिकार्ड मे मेरे नाम से 11 कटटे दिखा रखे है वो गेहूँ के बीज मैने नहीं खरीदे है रिकार्ड में हस्ताक्षर किया हुआ है वो भी मेरा नहीं है परन्तु आधार न० 3414520368505 मेरा ही है मुझे नहीं मालुम मेरे आधार पर कोन व्यक्ति बिज बिक्री केन्द्र फरुखनगर से गेहूँ के बीज ले गया।

6 इसके अतिरिक्त जांच के दौरान सुरेश पुत्र जगरूप निवासी गांव डूमा जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ मेरे पास करीब 3 एकड जमीन है मैने वर्ष 2020 में सीड सैन्टर फरुखनगर से 4 गेहूँ के बीज के कटटे लिये थे। आपके द्वारा प्राप्त किये गये रिकार्ड अनुसार मेरे नाम से 10 कटटे गेहूँ के बीज के दर्शाये हुये है जबकि यह गलत दर्शाये है। इसी प्रकार राजबीर पुत्र रामानन्द निवासी गांव डूमा जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ मेरे पास 3 एकड जमीन है मैने वर्ष 2020 में सीड सैन्टर फरुखनगर से 2 कटटे गेहूँ बीज के लिये थे। आपके रिकार्ड मेरे नाम से जो 10 कटटे गेहूँ बीज के दर्शाये हुये है वह गलत दर्शाये है। इसी प्रकार वीर सिंह पुत्र रणसिंह निवासी गांव डूमा जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ मेरे पास 4 एकड जमीन है मैं अपनी जमीन में सरसो की खेती करता हु मैंने वर्ष 2020 में सीड सैन्टर फरुखनगर से 3 कटटे गेहूँ बीज के लिये थे। आपके रिकार्ड मेरे नाम से जो 10 कटटे गेहूँ बीज के दर्शाये हुये है वह गलत दर्शाये है। इसी प्रकार कृष्ण पुत्र उमराव निवासी मुसेदपुर जिला गुरुग्राम ने अपना कथन अंकित कराया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ मेरे पास डेड एकड जमीन है मैने वर्ष 2020 में सीड सैन्टर फरुखनगर से गेहूँ बीज के 3 कटटे लिये थे। आपके रिकार्ड में मेरे नाम से 20 गेहूँ बीज कटटे दर्शाये हुये है वह गलत दर्शाये है मैंने केवल 3 कटटे लिये थे।

7 उपरोक्त के मध्यनजर प्रथम दृष्टया एवं अभी तक की जांच के आधार पर रबी सीजन वर्ष 2020/2021 में जिला गुरुग्राम के बीज बिक्री केन्द्र फरुखनगर के सेल रजिस्टर में किसानों के फर्जी इन्दराज करने व फर्जी रिकार्ड तैयार

करने के सम्बन्ध में बीज बिक्री केन्द्र फरुखनगर के ललीत कुमार सेल काउन्टर ईन्चार्ज के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून भा०८०स० की धारा 420 467 468 471 व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित करने कि सिफारिश की गई थी। इसके अलावा हरियाणा बीज विकास निगम मुख्यालय सैक्टर-2, पंचकुला द्वारा भी वर्ष 2020-21 में बीज वितरण केन्द्रों द्वारा किसानों को सब्सिडी पर वितरण किये गये गेहूँ बीज के आंकड़ों का ऑडिट करवाये जाने की अनुशंसा की गई।

8 जांच की पडताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5067/भ०नि०स्यू०/ गुरुग्राम दिनांक 25.11.2024 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी। अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 19636 दिनांक 29.11.2024 के अनुसार जांच आगामी कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 66/46/2024-6 VII दिनांक 10.02.2025 व श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 3677/1-1/ACB (H) दिनांक 05.03.2025 के अनुसार ललीत कुमार तत्कालीन सेल काउन्टर ईन्चार्ज फरुखनगर के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून भा०द०स० की धारा 409, 420 467 468 471 व 13 (1) (ए) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत व अन्य नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिए तहरीर का प्रारूप (Draft) तैयार करके अनुमोदन हेतु नियमानुसार अतिरिक्त महा निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला से अनुमति प्राप्त उपरान्त ललीत कुमार सैलस मैन उपरोक्त के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 420 467 468 471 भा०द०स० व 13(1)(A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये तहरीर तैयार करके बदस्त HC इन्द्रजीत न0 188/फरीदाबाद के हवाले करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में भेजी जा रही है। यदि अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिपता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जायेगा। अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर से सूचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये। sd Ashok Kumar Insp. निरीक्षक अशोक कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ०नि०ब्यूरो गुरुग्राम । दिनांक 13.03.2025 at – 2.50 PM अज थाना – आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को FIR की प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से व आने वाले HC इन्द्रजीत न0 188/फरीदाबाद के माध्यम से मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / or (या)
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ASHOK **Rank (पद):** I (Inspector) KUMAR
No. (सं.): 749GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**
- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इंकार किया या)
- (4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1981				
Is pox pitted: Yes						

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)